

विधानसभा अताशक्ति प्रश्न क्र. 89 के प्रश्नोत्तर (ब) का परिशिष्ट "अ"
 प्रश्नकर्ता - श्री. बी.के. शुक्ल
 उत्तर देने का दिनांक 20/2/2019

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी म.प्र.

क्र/स्था.अवि./२०१७/ २०५७७

शिवपुरी दिनांक ३०-११

कार्यालय आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल के आदेश क्र./२/अवि//सेल-टी.पी/अति/२०१७/ ५३४- बी भोपाल दिनांक 10.7.2017 द्वारा श्री अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक सामु.स्वा.केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी का स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर के अधीन प्रशासकीय आधार पर किया गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा के पत्र क्र/स्था.वि./२०१७/६७४ दिनांक १८.०७.२०१७ द्वारा स्थानांतरण स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है।

अतः अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक सामु.स्वा.केन्द्र करैरा को आज दिनांक ३०-११-२०१७ को दोपहर पश्चात स्थानांतरण स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर को देना सुनिश्चित करें।
 यूनिक एम्पलाई कोड १४१००६३८७

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक ३०-११-१७

क्र/स्था.अवि./२०१७/ २०५७७-४६
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

१. संचालक महोदय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल।
२. अपर संचालक प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल।
३. कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी/सागर।
४. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्वालियर।
५. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर
६. जिला कोषालय अधिकारी जिला शिवपुरी / सागर।
७. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का चार्ज किसी अन्य कर्मचारी का हस्तांतरण करवाना सुनिश्चित करे।
८. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय शिवपुरी।
९. श्री अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक सामु.स्वा.केन्द्र करैरा की ओर पालनार्थ।
१०. व्यक्तिगत नस्ती।

उप संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला शिवपुरी म.प्र.

विधानसभा अध्यादेश क्र. 89 के अध्यादेश (ग) का परिशिष्ट "ब"
अध्यादेश - श्री. विश्वेश्वर उद्योगेश
उत्तर देने का दिनांक. 20/2/2018

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी म0प्र0

क्र/स्था./अविजप्त/2018/10066

शिवपुरी दिनांक. 24-8-18

//कार्यालय आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 15476/2018 दिनांक 16-07-2018 द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/स्था./अवि./2018/9583 दिनांक 06-08-2018 के द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र करैरा से श्री अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक की माह जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 की उप पंजी की सत्यापित छायाप्रति मंगाई गई। प्राप्ति पंजी में श्री रावत की माह जुलाई 2017 में दिनांक 01-07-2017 से 31-07-2017 तक एवं अगस्त 2017 में दिनांक 01-08-2017 से 24-08-2017 तक उपस्थिति दर्ज की गई है। श्री रावत को दिनांक 30-08-2017 को स्थानांतरित स्थान सागर की ओर इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया गया।

अतः श्री अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक की उक्त अवधि में से शेष रहे भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

de

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला शिवपुरी म0प्र0

शिवपुरी दिनांक. 24-8-18

क्र/स्था./अविजप्त/2018/10067-72

प्रतीति - सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

- 1 महाधिवक्ता महोदय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
- 3 खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र करैरा।
- 4 लेखापाल लेखाशाखा स्थानीय कार्यालय शिवपुरी की ओर उपस्थिति की छाया प्रति संलग्न हैं।
- 5 श्री अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
- 6 लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय जिला शिवपुरी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला शिवपुरी म0प्र0

उप संचालक

संचालनलय स्वास्थ्य सेवार्थ म.प्र